

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com

दूरभाष एवं फैक्स नं०: 05963-220249 वन मित्र काल सेटर- 9208008000

पत्रांक 3197 / 121-2
सेवा में,

बागेश्वर

दिनांक : 08/02/2024

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय - जनपद बागेश्वर में कपकोट तेजम मोटर मार्ग के किमी 0 57 से बड़ी पन्याली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.42 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या-28915/2017)

सन्दर्भ- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक सं० 8बी/यू०सी०पी०/०६/114/2018/एफ०सी०/931 दिनांक 16.10.2023।

महोदय,

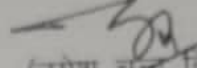
उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा जो आपत्ति का निराकरण कर प्रस्ताव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु स० 1	प्रस्तावित मार्ग की केएमएल फाइल के अवलोकन पर यह स्पष्ट है, कि स्वीकृत मार्ग संरेखण एवं जिस संरेखण पर मार्ग का निर्माण किया गया है मेल नहीं खा रहे है। इसके अतिरिक्त, कई स्थानों पर अनियमित रूप से मलवा निस्तारण देखा गया है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह इस संबंध में एक विस्तृत जांच करे एवं उल्लंघन, यदि कोई हो के संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण रिपोर्ट करें।	अधिशाली अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई कपकोट से उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आख्या मांगी जो उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी तथा इसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न है। उक्त के अतिरिक्त प्रस्ताव की मूल K.M.L File तथा मूल प्रस्ताव का अवलोकन किया गया आपत्ति पर आख्या निम्न प्रकार से है। 1. मूल प्रस्ताव सिविल सोयम भूमि मे 3.80 किलोमीटर लम्बाई में मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया था। 2. प्रस्ताव के साथ संलग्न K.M.L File तथा मौके पर वास्तविक निर्माण में कुछ स्थलों पर भिन्नता देखी गयी है, परन्तु मोटर मार्ग का वास्तविक निर्माण लगभग 3 किलोमीटर में किया गया है। जो कि प्रस्तावित 3.80 किलोमी० लम्बाई से कम है इस प्रकार वास्तविक निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि का क्षेत्रफल स्वीकृत वन भूमि से कम है। 3. मूल प्रस्ताव में मार्ग निर्माण से प्रभावित वृक्षों की संख्या 0 है। तथा वास्तविक निर्माण में भी कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हुआ है। 4. बिन्दु संख्या 2 व 3 से स्पष्ट है कि मार्ग निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान का प्रथम दृष्टया उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है। 5. मूल प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि मार्ग निर्माण में उत्पादित अतिरिक्त मलवे के निस्तारण हेतु पृथक से कोई मक डम्पिंग साइट
----------------------------	---	---

प्रदूषित/घटित नहीं है तथा लैण्ड रीडयूल के अनुसार मार्ग के साथ-साथ 833 मी० लम्बाई में मलवे का निस्तारण प्रस्तावित किया गया है। सिविल सोयम भूमि में वृक्ष स्थित न होने के कारण मलवा निस्तारण से वृक्षों की क्षति शून्य है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(उमेश चन्द्र तिवारी)

प्रभागीय वनाधिकारी,

बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर